भारतीय रिजर्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंन्द्रीय कार्यालय
सेंटर - 1 , विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई- 400 005

अधिसूचना संख्या. गैबैंपवि(नीप्र) 259/मुमप्र(सीआरएस)-2013 02 अगस्त 2013

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए , बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकार करने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

पैराग्राफ 2(1) (viii) का संशोधन

पैराग्राफ 2(1) (viii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:

गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों द्वारा किसी उधारकर्ता को इन्फ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' के रूप में मान्य होगीः

क्र. सं.	श्रेणी		'इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र
1.	परिवहन	i	सड़क तथा पुल
		ii	पत्तन1
		iii	अंतरदेशीय जल मार्ग
		iv	हवाई अड्डा
		v	रेलवे ट्रैक, सुरंग, छोटे पुल, पुल[2]
		vi	शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर)
2.	ऊर्जा	i.	बिजली उत्पादन
		ii.	विद्युत पारेषण
		iii.	बिजली वितरण
		iv.	तेल की पाइपलाइनें
		v.	तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा[3]
		vi.	गैस पाइपलाइनें[4]
3.	जल तथा	i.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

	सफाई व्यवस्था (सैनीटेशन)	ii.	जल आपूर्ति पाइपलाइनें
		iii.	जलशोधन कारखाने
		iv.	सीवेज संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली
		v.	सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि)
		vi.	चक्रवात जलनिकासी प्रणाली
		vii	स्लरी पाइपलाइनें सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) चक्रवात जलनिकासी प्रणाली स्लरी पाइपलाइनें
4.	दूर संचार	i.	दूरसंचार (जड़ नेटवर्क)[5]
		ii.	दूरसंचार टॉवर
		iii.	दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं
5.	सामाजिक तथा व्यावसायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	i.	शैक्षणिक संस्थाएं (पूंजी स्टॉक)
		ii.	अस्पताल (पूंजी स्टॉक)[6]
		iii.	तीन-सितारा या उच्च श्रेणी वर्गीकृत होटल जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैं।
		iv.	औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार
		v.	उर्वरक (पूंजी निवेश)
		vi.	शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों के लिए उत्पादनोत्तर भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर
		vii.	टर्मिनल बाजार
		viii	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
		ix	प्रशीतन श्रृंखला[7]

नोट

1. कैपिटल ड्रेजिंग सम्मिलित है।
2. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्टेशन तथा भवन सम्मिलित हैं।
3. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित है।
4. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित है।
5. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले आप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैं।
6. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र सम्मिलित हैं।
7. कृषि तथा संबंधित उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित है।

(सी.आर.संयुक्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंन्द्रीय कार्यालय
सेंटर - 1 , विश्व व्यपार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई- 400 005

अधिसूचना संख्या. गैबैंपवि(नीप्र) 260/मुमप्र(सीआरएस)-2013 02 अगस्त 2013

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए , बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

पैराग्राफ 2(1) (viii) का संशोधन

पैराग्राफ 2(1) (viii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:

गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों द्वारा किसी उधारकर्ता को इन्फ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' के रूप में मान्य होगीः

क्र. सं.	**श्रेणी**	**'इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र**	
1.	परिवहन	i	सड़क तथा पुल
		ii	पत्तन1
		iii	अंतरदेशीय जल मार्ग
		iv	हवाई अड्डा
		v	रेलवे ट्रैक, सुरंग, छोटे पुल, पुल[2]
		vi	शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर)
2.	ऊर्जा	i.	बिजली उत्पादन
		ii.	विद्युत पारेषण
		iii.	बिजली वितरण
		iv.	तेल की पाइपलाइनें
		v.	तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा[3]
		vi.	गैस पाइपलाइनें[4]
3.	जल तथा	i.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

	सफाई व्यवस्था (सैनीटेशन)	ii.	जल आपूर्ति पाइपलाइनें
		iii.	जलशोधन कारखाने
		iv.	सीवेज संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली
		v.	सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि)
		vi.	चक्रवात जलनिकासी प्रणाली
		vii	स्लरी पाइपलाइनें सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्यादि) चक्रवात जलनिकासी प्रणाली स्लरी पाइपलाइनें
4.	दूर संचार	i.	दूरसंचार (जड़ नेटवर्क)[5]
		ii.	दूरसंचार टॉवर
		iii.	दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं
5.	सामाजिक तथा व्यावसायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	i.	शैक्षणिक संस्थाएं (पूंजी स्टॉक)
		ii.	अस्पताल (पूंजी स्टॉक)[6]
		iii.	तीन-सितारा या उच्च श्रेणी वर्गीकृत होटल जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैं।
		iv.	औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार
		v.	उर्वरक (पूंजी निवेश)
		vi.	शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों के लिए उत्पादनोत्तर भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर
		vii.	टर्मिनल बाजार
		viii	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
		ix	प्रशीतन श्रृंखला[7]

नोट

1. कैपिटल ड्रेजिंग सम्मिलित है।
2. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्टेशन तथा भवन सम्मिलित हैं।
3. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित है।
4. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित है।
5. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले आप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैं।
6. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र सम्मिलित हैं।
7. कृषि तथा संबंधित उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित है।

(सी.आर.संयुक्ता)
मुख्य महाप्रबंधक